कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 858/49/आउशि/शा–5'अ'/2022 भोपाल, दिनांक 16/06/2022

प्रति,

प्राचार्य,
संबंधित शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– स्नातक द्वितीय वर्ष के लिय 16 विषयों के ई–कंटेंट निर्माण हेतु कार्यवाही किये जाने बाबत।

संदर्भ– कार्यालयीन आदेश क्रमांक 737/49/आउशि/शा–5'अ'/2022 भोपाल दिनांक 30.05.2022

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा स्नातक द्वितीय वर्ष के विभिन्न विषयों हेतु जारी पाठ्यक्रमों के आधार पर विषयवार संयोजकों तथा मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा सत्यापन मंडल का गठन किया गया है। ई–कंटेंट निर्माण के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन कर ई–कंटेंट निर्माण के लिए निर्देशित किया गया है। निर्देशानुसार परीक्षण उपरांत ई–कंटेंट कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करने की समय–सीमा 25 जून, 2022 निर्धारित है।

ई– कंटेट निर्माण हेतु प्राथमिक स्तर पर चयनित 16 विषयों में वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, राजनीति शास्त्र, भूगोल, टेक्सटाइल एंड क्लोदिंग, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, भूगर्भशास्त्र, हिन्दी, वाणिज्य एवं संस्कृत सम्मिलित है।

समस्त संबंधित प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि ई–कंटेंट निर्माण के लिए प्राथमिक स्तर पर चयनित विषय से संबंधित चयनित शिक्षक यदि आपके महाविद्यालय में पदस्थ है तो उन्हें निर्धारित समय–सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाए। आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा प्रति सप्ताह ई–कंटेंट निर्माण की विषय संयोजकों के साथ समीक्षा की जाती है। प्राथमिकता के आधार पर ई–कंटेंट निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाए।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

16/6/22

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल.

पृ. क्रमांक 859/49/आउशि/शाखा–5'अ'/2022 भोपाल, दिनांक 16/06/2022

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन,भोपाल।
4. डॉ.दिवा मिश्रा,नोडल अधिकारी,ई–कंटेंट निर्माण,राष्ट्रीय शिक्षा नीति समन्वय प्रकोष्ठ,मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संबंधित विषय संयोजक, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

.... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल.